



# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय:- मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर।

क्रमांक :- सी.बी.एस./मु.प्र./वित्त/केन्टिन/25/163

दिनांक:- 18.02.2025

## ई-बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर पर स्थित केन्टीन/स्टाल/रिक्त स्थान हेतु अस्थाई रूप से लाइसेंसी नियुक्त किये जाने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

क्र. सं.	प्लेटफार्म नम्बर	स्टाल नं.	स्टाल प्रकृति	साईज वर्ग फीट	RISL प्रोसेसिंग फीस	निविदा शुल्क (जीएसटी सहित)	धरोहर राशि	अनुमानित वार्षिक आय,जी.एस.टी. अतिरिक्त
1	02	208	बेकरी, पैकड फूड स्टॉल	09 X 18	500	236	20,000	6,00,000
2	02	209	जनरल रेटर, (चाय-कॉफी, कचौरी, समौसा, फाईड/तले हुये पदार्थ प्रतिबन्धित हैं)	09 X 18	500	236	20,000	5,60,000
3	02	210	केन्टीन चाय नाश्ता	10 X 18	500	236	50,000	11,64,000
4	02	213-214	भोजनालय, चाय-नाश्ता, (प्री-पैकड आईटम प्रतिबन्धित हैं)	14 X 18	500	236	50,000	11,50,000
5	02	215	चाय, कॉफी, नाश्ता, पोहा, नूडल्स गजक, रेबड़ी, नमकीन, मूँगफली, ताजा फलों का रस, गन्ने का रस, फलूदा, मंटका कुल्फी, पैकड पानी की बोतल, (समौसा, कचौरी, गहरी तली हुई डीफाईड, पैकडआईटम, एवं पैकड पेय पदार्थ के अतिरिक्त)	05 X 20	500	236	20,000	6,80,000
6	03	305	इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल, फैन्सी खिलौना, बुक स्टाल।	08 X 20	500	236	50,000	9,66,000
7	03	316	हेयर-ड्रेसर।	10X 10	500	236	20,000	7,25,000
8	04	403	हेयर-ड्रेसर।	08 X 08	500	236	20,000	3,06,000
9	04	406	फोटो रेटर, इलेक्ट्रोनिक मोबाइल एसेसरीज, गिफ्ट आईटम।	06 X 06	500	236	50,000	8,81,000
10	05	508	हेयर-ड्रेसर।	08 X 08	500	236	20,000	2,00,000
11	पूर्व कार्यशाला, मन्दिर के पीछे	604	भोजनालय, चाय-नाश्ता फारस्ट फूड, (प्री-पैकड आईटम प्रतिबन्धित हैं)	18 X 10	500	236	50,000	8,70,000

RISL प्रोसेसिंग फीस हेतु डिमांड ड्राप्ट/बैर्क्स चैक **MANAGING DIRECTOR RISL** के नाम देय होंगे। धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के डिमांड ड्राप्ट/बैर्क्स चैक **CM RSRTC CBS JAIPUR** के नाम से देय होंगे। डिमांड ड्राप्ट/बैर्क्स चैक की छाया प्रतिलिपि (**Scanned Copy**) ई-बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी। मूल डिमांड ड्राप्ट/बैर्क्स चैक दिनांक 07.03.2025 को 15:00 बजे तक कार्यालय में पहुच जाने चाहिये, तकनीकी बोली दिनांक 07.03.2025 को ही 16:00 बजे खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार हैं।

क्र./सं.	विवरण	दिनांक	समय	स्थान
01	बोली दस्तावेज डाउनलोड करना	18.02.2025	18:00	
02	प्री-बिड मिटिंग	24.02.2025	14:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी.एस. आगार जयपुर
03	ई-बोली प्रारम्भ	25.02.2025	10:00	
04	ई-बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	06.03.2025	17:00	
05	मूल बोली दस्तावेज को मुख्य प्रबन्धक को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	07.03.2025	15:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी.एस. आगार जयपुर
06	तकनीकी बोली खोली जाने की तिथि	07.03.2025	16:00	


विस्तृत बोली दस्तावेज उपापन पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in>,  
<https://sppp.rajasthan.gov.in> और निगम वेबसाइट <https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> से  
डाउनलोड किये जा सकते हैं भविष्य में सभी अपडेट इन्ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अतः इच्छुक बोलीदाता को इन  
वेबसाइट को निरंतर विजिट करने की सलाह दी जाती है। निविदा को बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से  
संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

*Rakesh*  
मुख्य प्रबन्धक  
सी.बी.एस आगार, जयपुर।

# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सी.बी.एस आगार, जयपुर।

केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर पर केन्टीन/स्टाल, रिक्त स्थान आवंटन हेतु अस्थाई रूप से  
लाइसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

## तकनीकी बिड़—प्रपत्र



कंपनी की दशा में  
फोटो अनिवार्य नहीं

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	:—	
02	चाही गई केन्टीन/स्टाल/रिक्त स्थान संख्या टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.		
03	कार्यालय निवास	:— :—	
04	टेलेक्स/फैक्स नम्बर	:—	
05	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण	:—	
06	धरोहर राशि	:—	
07	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर दिनांक	:— :—	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।		
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैंक में खाता नम्बर	:—	
10	अन्य आवश्यक विवरण:- पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो, जी.एस.टी. पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।	:—	

हस्ताक्षर निविदादाता  
मय पद/हैसियत/मोहर सहित।

## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

निविदा—शर्तें

स्टाल आवंटन/संचालन की निविदा शर्तें निम्न हैं:-

1. निगम परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान अरथाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जावेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने/सन्तोषजनक सेवाये रहने पर लाईसेन्स फीस में 10 चक्रवृति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। अग्रिम वर्ष हेतु अनुबन्ध पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के बराबर पुनः अवधि नवीनीकरण करने पर वृद्धि हुई लाईसेंस फीस के आधार पर सुरक्षा राशि भी 03 माह की लाईसेंस फीस के बराबर पुनः निर्धारित कर सुरक्षा राशि की अन्तर राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमन्त्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा ख्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
2. लाईसेंस पर दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को पांच सौ रुपए के भारतीय गैर न्यायालयिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
3. लाईसेंस पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नहीं किया जायेगा :-  
नोट:- जिस स्टॉल हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके अनुरूप स्वीकृत सामग्री का ही इन्द्राज करे।

1. ....
2. ....
3. ....
4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि ...../- रुपये (अक्षरे ..... रुपये मात्र) बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा ही मान्य होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी./बैंकस चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना व्याज के लाईसेन्स अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
5. आवंटन के पश्चात सफल निविदादाता को आवंटन पत्र में निर्धारित समयावधि में सुरक्षा राशि, अनुबन्ध पत्र एवं 12 माह के अग्रिम पोर्ट डेटेड चैक इस कार्यालय में जमा करवायेंगे अन्यथा संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी साथ ही आवंटन निरस्त कर जमा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
6. लाईसेन्सधारी, स्टॉल आवंटन के पश्चात ख्वयं के खर्च पर आवंटित स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेन्सधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करे, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नहीं किया जावेगा। स्टॉल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात ही व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
7. निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घन्टे के भीतर ख्वयं के खर्च पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य रथान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी। आगार स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त करा सकेगा।
8. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोर्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को देय होगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेन्स फीस निगम कोष में जमा/सुनिश्चित नहीं कराने पर अथवा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी दुकान में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।
9. लाईसेन्सी ख्वय के खर्च पर सम्बन्धित विभाग के बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका ख्वय भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द करने के लिए सूचित करेगा।
10. आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।
11. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
12. लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।

13. निगम द्वारा लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
14. यदि लाईसेन्सी खयं अपना लाईसेन्स चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगर प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
15. दुकान/स्टाल/बूथ का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
16. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तों एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णयक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णयक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णयक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य रूपरूप जायपुर होगा।
17. लाईसेन्सी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय—समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर जमा राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
18. लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय—समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी खयं जिम्मेदार होगा।
19. दुकान/स्टाल/बूथ पर पूर्ण गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जायेगा।
20. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बद्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।
21. यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेन्स उसी स्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
22. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते हैं तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
  1. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति/पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति)
  2. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/- रुपए के भारतीय गैर न्यायिक रुपरूप पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा।

यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओफिसरी द्वारा सत्यापित होगा।
23. निविदा—प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे।
24. निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की काट-छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
25. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी संशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
26. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
27. संलग्न धोषणा—पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
28. निविदा में प्राप्त दरों की स्वीकृति/अस्वीकृत करने का तथा दर दाताओं के प्रस्ताव को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आगारीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
29. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपकरणों के कर्मचारियों एवं राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर स्टाल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
30. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी एवं उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।
31. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेन्स फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा लाईसेन्स फीस जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/- रुपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्त्रित राशि जमा करवानी होगी।
32. सिन्धी कैम्प परिसर में निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर रखना खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवं इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
33. लाईसेन्सधारी को स्वयं के व्यय पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैश काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा।
34. जी.एस.टी. इनपुट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नहीं मिलने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
35. प्रत्येक माह बिजली का बिल जमा कराना अनिवार्य होगा। मासिक रूप से बिजली का बिल जमा नहीं कराये जाने पर कनेक्शन विच्छेद कर दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन जुड़वाने पर 500/- रुपये शास्त्रित राशि वसूल की जावेगी। निर्धारित अवधी में बिल
36. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के लिफाफे पर कम संख्या केन्टीन/स्टाल आदि का नाम/स्थान एवं निविदादाता का नाम/पता अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
37. निविदादाता को निविदा फार्म के लिफाफे पर कम संख्या केन्टीन/स्टाल आदि का नाम/स्थान एवं निविदादाता का नाम/पता अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

38. निविदा फार्म जिस व्यक्ति/संस्थान के नाम होगा निविदा खोलते समय उस व्यक्ति/फर्म या फर्म के किसी कार्यरत कर्मचारी का उपरिथित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
39. किसी शर्त का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व सूचना के 24 घण्टे का नोटिस देकर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसके लिए लाइसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

मैंने उपरोक्त शर्तों को भलीभांति पढ़कर, समझकर, सुनकर बिना दबाव के हस्ताक्षर किये हैं उक्त शर्त मुझे पूर्णतया स्वीकार है।  
श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 783 दिनांक 03.05.2024  
के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तों में Dispute Resolution and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

40. **Dispute Resolution:** Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
41. Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्त मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)



# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर।

## घोषणा-पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा डी.डी.संख्या/ बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक ..... राशि ..... रूपये ..... जो कि CM RSRTC CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे हैं/कर दिया है।
2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते हैं। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाइसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देंगे।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव किये हैं उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नहीं दिये गये हैं।

दिनांक :-

(हस्ताक्षर निविदा दाता)  
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।